-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.06.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अवैध शराब का निष्कर्षण करने वाली अभियुक्ता को थाना बदौसा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्ता के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराव, 01 क्विंटल लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शराब का निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.06.2024 को थाना बदौसा पुलिस द्वारा अवैध शराब का निष्कर्षण करने वाली एक अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना बदौसा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम दुबरिया की रहने वाली मखुलिया नाम की महिला बागै नदी पुल के नीचे सब्जी की बारियों में अवैध कच्ची शराब बनाती है। सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी कर अभियुक्ता को अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण तथा 01 क्विंटल लहन बरामद किया गया। मौके से प्राप्त लहन को नष्ट कराया गया।

बरामगदगी-

- 20 लीटर अवैध कच्ची शराब
- 01 क्विंटल लहन
- शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मखुलिया पत्नी केशव नि0 दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अ0सं0 87/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियन थाना बदौसा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राम नारायण
2. प्र0उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार
3. कां0 शेर सिंह
4. म0कां0 आंचल